भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1309

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार का विस्तार

1309. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उभरते आयुर्वेद चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कारों की पहुंच और मान्यता का विस्तार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुर्वेद अनुसंधान, शिक्षा और नैदानिक अभ्यास के लिए अवसंरचना का संवर्धन करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार एक मेंटरशिप कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है जिसमें पूर्व पुरस्कार विजेता युवा आयुर्वेद चिकित्सकों और शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन किया जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए धन्वंतरी जयंती के अवसर पर वर्ष 2016 से हर साल आयुर्वेद दिवस मनाता आ रहा है। तथापि, दिनांक 27.03.2025 को प्रकाशित संशोधन संकल्प के अनुसार, अब 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया है, और इसके लिए, मंत्रालय ने उभरते आयुर्वेद चिकित्सकों और शोधकर्ताओं सहित प्रख्यात आयुर्वेद विशेषज्ञों/वैद्यों के लिए, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए "राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार" भी प्रारंभ किया है, जिसमें आयुर्वेद में उत्कृष्टता के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने और उन्हें अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए चुने/चयनित किए गए तीन (03) प्रख्यात वैद्यों और आयुर्वेद विशेषज्ञों को इस दिवस पर एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी (धन्वंतरी प्रतिमा) और पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2023 से, धन्वंतरी पुरस्कारों के लिए नामांकन, गृह मंत्रालय (एमएचए) के कॉमन यूनिफाइड नेशनल अवार्ड्स पोर्टल - राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं।

(ख): चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए देश में बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत उन राज्यों में आयुष शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है जहां सरकार में आयुष शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता अपर्याप्त है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव भेज कर पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) की स्थापना की है जो आयुर्वेदीय विज्ञान में वैज्ञानिक तर्ज पर अनुसंधान करने, उसके समन्वय, निरूपण, विकास और संवर्धन के लिए एक स्वायत्त संगठन है। परिषद के कार्यकलाप देश के 25 राज्यों में 30 परिधीय संस्थानों के माध्यम से चलाए जाते हैं जिनमें से 26 परिधीय संस्थानों/केंद्रों में ओपीडी/आईपीडी के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सूची **संलग्नक-I** में दी गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय के तहत निम्नलिखित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान देश भर में अपने संबद्ध अस्पतालों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं और आयुर्वेद उपचार प्रदान कर रहे हैं:-

i. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर और पंचकूला स्थित इसका विस्तार केंद्र।
ii. अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली और गोवा स्थित इसका अनुषंगी केंद्र।
iii. आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए), जामनगर, गुजरात।
iv. राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (आरएवी), नई दिल्ली।
v. पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान (एनईआईएएच), शिलांग, मेघालय।
vi. पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएएफएमआर), पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश।

(ग) और (घ): 'मेंटरशिप कार्यक्रम' शुरू करने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसमें पूर्व पुरस्कार विजेताओं द्वारा युवा आयुर्वेद चिकित्सकों और शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन किया जा सकेगा। तथापि, आयुर्वेद क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली (एनसीआईएसएम) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

I. प्रकाशन अनुदान:-

एनसीआईएसएम, निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण पत्रिकाओं में शोध-पत्रों के प्रकाशन के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के शिक्षकों, यूजी और पीजी छात्रों और चिकित्सकों को प्रकाशन अनुदान दे रहा है।

II. आयुर्वेद अनुसंधान केन के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (स्पार्क):

एनसीआईएसएम ने केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के सहयोग से आयुर्वेद कॉलेजों के स्नातक-पूर्व छात्रों के लिए स्पार्क का शुभारंभ किया है।

III. पीजी-स्टार:-

एनसीआईएसएम ने सीसीआरएएस के सहयोग से स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आयुर्वेद अनुसंधान में प्रशिक्षण योजना (पीजी-स्टार) का शुभारंभ किया है।

IV. साहित्यिक अनुसंधान:-

सीसीआरएएस व्यक्तियों को साहित्यिक अनुसंधान के लिए अनुदान दे रहा है और अनुसंधान के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों के सहयोग से भी काम कर रहा है।

*****

संलग्नक-I

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद

सीसीआरएएस के आयुर्वेद अस्पतालों/औषधालयों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीसीआरएएस संस्थानों/केंद्रों के नाम जिनमें अस्पताल हैं	उपलब्ध सुविधा
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	1. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर - 744101	ओपीडी
2.	आंध्र प्रदेश	2. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पायकापुरम , विजयवाड़ा-520015	ओपीडी और आईपीडी
3.	अरुणाचल प्रदेश	3.क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ईटानगर -791111	ओपीडी
4.	असम	4. केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बोरसोजाई, बेलटोला, गुवाहाटी- 781028	ओपीडी और आईपीडी
5.	बिहार	5.क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, डी ब्लॉक, राजिन्द्र मेमोरियल रेस., संस्थान भवन, अगमकुआं , पटना-800007	ओपीडी
6.	दिल्ली	6. केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान रोड नंबर 66, पंजाबी बाग, नई दिल्ली - 110026	ओपीडी और आईपीडी
7.	गोवा	7.क्षेत्रीय आयुर्वेद खनिज एवं समुद्री अनुसंधान संस्थान औषधीय संसाधन, गोवा - 403006	ओपीडी
8.	गुजरात	8. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मेगनी नगर, अहमदाबाद- 380016	ओपीडी
9.	हिमाचल प्रदेश	9.क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जरल पंडोह , मंडी- 175124	ओपीडी
10.	जम्मू-कश्मीर	10. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जेडीए हाउसिंग कॉलोनी, बन तालाब, राजेंद्र नगर, जम्मू-181123	ओपीडी और आईपीडी
11।	कर्नाटक	11. केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, 12 उत्तरहल्ली मानवार्थेकवल, उत्तरहल्ली होबली कनकपुरा मेन रोड, तलागट्टापुरा पोस्ट, बेंगलुरु-560109	ओपीडी
12.	केरल	12.राष्ट्रीय आयुर्वेद पंचकर्म अनुसंधान संस्थान, चेरुथुरुथी - 679531	ओपीडी और आईपीडी
		13. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, पूजापुरा, त्रिवेंद्रम-695012	ओपीडी और आईपीडी
13.	मध्य प्रदेश	14.क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, आमखो , ग्वालियर-474009	ओपीडी और आईपीडी
14.	महाराष्ट्र	15.केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, आरए पोद्दार कॉलेज, वर्ली, मुंबई-400018	ओपीडी और आईपीडी
		16. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, एनआईटी कॉम्प्लेक्स, नंदनवन , नागपुर-440009	ओपीडी और आईपीडी
15.	नगालैंड	17.क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र, सीएमओ भवन, जिला हॉस्पिटल कॉलोनी, दीमापुर (नागालैंड)-797112	ओपीडी
16.	ओडिशा	18.केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, भरतपुर ,	ओपीडी और

		भुवनेश्वर-751003	आईपीडी
17.	पंजाब	19. केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, मोती बाग रोड, पटियाला-147001	ओपीडी और आईपीडी
18.	राजस्थान	20. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, इंदिरा कॉलोनी, बनी पार्क, जोतवाड़ा रोड, जयपुर-302016।	ओपीडी और आईपीडी
19.	सिक्किम	21.क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ताडोंग , गंगटोक -737102	ओपीडी
20.	तमिलनाडु	22.डॉ. अचंतलक्ष्मीपति क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, वीएचएस परिसर, टीटीटीआई पोस्ट, चेन्नई-600113	ओपीडी
21.	त्रिपुरा	23. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, रामनगर रोड, नंबर 4 राज भंडार के सामने, अगरतला, त्रिपुरा - 799002	ओपीडी
22.	उत्तर प्रदेश	24. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016	ओपीडी
23.	उत्तराखंड	25. क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, थापला , रानीखेत- 263645, अल्मोड़ा	ओपीडी
24.	पश्चिम बंगाल	26.केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, 4 सीएन ब्लॉक, सेक्टर वी, बिधान नगर, कोलकाता-700091	ओपीडी और आईपीडी

सूचना का स्रोत-सीसीआरएएस, नई दिल्ली।